रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1984/माघ 27, 1905
No. 21] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1984/MAGHA 27. 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1984

संख्या ओ.-17011/5/82-जी. ओ. पी. :—भारत सरकार द्वारा 26 मार्च, 1979 की अपनी अधिसूचना संख्या ओ.-17011/3/78-जी. ओ. पी. में केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना को 1-4-1979 से 31-3-1984 तक की अवधि के लिए चौथे चरण के रूप में जारी रखना अधिसूचित किया गया था, ताकि उसमें विनिर्दिष्ट उपभोक्ता सहकारी समितियां तथा अन्य सहकारी संस्थाएं घटे मार्जिन पर बैंकिंग अभिकरणों से कार्य-कर पूंजी के लिए ऋण प्राप्त कर सकें । भारत सरकार ने अब निर्णय किया है कि योजना को उन्हीं शर्तों के आधार पर 1-4-1984 से 31-3-1985 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाए, जिससे यह योजना छठी योजना की अवधि के समापन के साथ समाप्त हो जाएगी ।

2. बढ़ाई गई अवधि अर्थात् 1-4-1984 से 31-3-1985 के दौरान प्रत्याभूति के मामले में एक नया प्रत्याभूति विलेख अनुबन्ध में दिए गए प्रपत्र में करना होगा ।

सभी पात्र बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सुविधा का लाभ उठाएं ।

श्रीविलास मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

उपाबन्ध

प्रत्याभूति—विलेख

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में . . . . . जो बैंककार कम्पनी (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तथा संचालित बैंक है । भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित किया गया निगम है । . . . . . (बैंक का नाम) जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किया गया निगम है । . . . . . अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी है, और जिसका . . . . . कार्यालय . . . . . में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बैंक" कहा गया है) के बीच 19 के/की . . . . . के . . . . . दिन किया गया यह प्रत्याभूति विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :—

बैंक द्वारा . . . . . को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सोसाइटी" कहा गया है) पश्चात् कथित के निवेदन पर, उन मार्जिनों को शिथिल करके जो इस प्रत्याभूति की अनुपस्थिति में बैंक सामान्य रूप से अनुसरण करता, प्रतिभू बैंक को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित परिमाण व उधारों और अग्रिम-धनों को सोसाइटी द्वारा बैंक को प्रतिसंदाय, ऐसे

निबन्धनों और शर्तों पर प्रत्याभूति करता है, जो इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है :—

1. प्रतिभू की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से सोसाइटी को विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए 1 अप्रैल, 1985 से पूर्व दिए गए किसी ऐसे प्रतिभूत उधार या अग्रिम धन की बाबत ही उपलब्ध होगी जो माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, दिया गया हो। बैंक ऐसे उधारों और अग्रिम धनों के लिए केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखने के लिए सहमत है।

2. उक्त सोसाइटी को उपरोक्त रूप में दिए गए उधार या अग्रिम धन की बाबत प्रतिभू का दायित्व, किसी भी समय, निम्नलिखित में से जो भी रकम सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होगा :—

(1) उस तारीख को जिसको प्रतिभू के नाम मांग की सूचना इसके खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसाइटी के नाम बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसाइटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का पच्चीस प्रतिशत ;

(2) . . . . . या . . . . लाख रुपये ।

3. बैंक 1 अप्रैल, 1985 से पूर्व किसी भी समय प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से ले सकेगा, अर्थात् :—

(1) बैंक पहले सोसाइटी के नाम इस मांग की सूचना जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो उसे बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू प्रत्याभूति किए गए उधारों और अग्रिम-धनों लेखे अपने को देय हों, उस तारीख से तीन दिन के भीतर संदत्त करे जिसको ऐसा प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा तामील की गई है। इस मांग नोटिस की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

(2) यदि सोसाइटी, यथा उपरोक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर, बैंक द्वारा उसे दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक प्रतिभू के नाम मांग की सूचना जारी करेगा ।

(3) बैंक प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लेते समय प्रतिभू को निम्नलिखित विवरण देगा :—

(1) उन मालों का ब्यौरा, जिस पर ऐसा उधार या अग्रिम धन दिया गया है जिसकी बाबत प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है,

(2) उक्त मालों का बाजार मूल्य, और

(3) निम्नलिखित तारीखों को सोसाइटी के नाम बकाया रकमें :—

(क) वह तारीख जिसको प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा सोसाइटी के नाम जारी की गई थी, तथा

(ख) प्रतिसंदाय मांगने की सूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति की तारीख, और

(4) प्रतिभू बैंक को देय रकम की इस प्रत्याभूति में उपबन्धित परिमाण तक प्रतिपूर्ति उस तारीख से 90 दिन के भीतर करेगा जिसको प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का बाधा करने की बैंक की सूचना प्रतिभू ने प्राप्त की हो ।

4. इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति इस बात के होते हुए भी प्रतिभू के विरुद्ध प्रवृत्त की जा सकेगी कि कोई प्रतिभूतियां जो बैंक ने सोसाइटी से अभिप्राप्त की हो, बकाया हों या वसूल न की गई हों ।

5. प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबद्ध प्ररूप में सोसाइटी भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार करेगी और इसके लिए वचनबद्ध करती है कि वह :—

(क) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम-धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी,

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी,

(ग) केन्द्रीय सरकार की उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय, मांग पर बिना पूर्वापत्ति के करने की भी प्रत्याभूति देगी जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यतिक्रम के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाए,

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करेगी

(ङ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ-साथ उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी,

(च) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति प्रतिभू को भेजेगी

(छ) सोसाइटी की सम्पत्तियों और आस्तियों को उन विल्लंगमों तथा कुर्कियों से मुक्त रखेगी—जो उनके अलावा है, जो बैंक के पक्ष में हैं तथा जिसके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में हैं, और

(ज) प्रतिभू या इस निमित्त उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ।

बैंक सोसाइटी को तब तक कोई संदाय नहीं करेगा जब तक कि प्रत्याभूति विलेख प्रथम अनुसूची के प्ररूप में करार तथा द्वितीय अनुसूची में वे सम्मति पत्र पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित करके उसे नहीं दे दिए जाते ।

6. बैंक उस प्रत्याभूति के प्रतिफलस्वरूप जो उसको प्रतिभू से उपलभ्य है, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होगा :—

(क) प्रतिभू को ऐसी कोई रकम संदत्त करना या उसके खाते में जमा करना जो भी प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत रकम की प्रति-पूर्ति कर दिए जाने की तारीख के पश्चात् प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की पूरी वसूली उसके द्वारा कर लिए जाने के पश्चात् सोसाइटी से वसूली की जाएगी,

(ख) ऐसे सब वचन-पत्रों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधारों के बारे में उसे उपलभ्य हों, बैंक को देय सम्पूर्ण बकाया की उसके द्वारा वसूली के पश्चात् भी तब तक प्रतिधारित रखना जब तक प्रतिभू द्वारा प्रति-पूरित रकम की वसूली न हो जाए ;

(ग) इसकी द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक सम्मति-पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना ;

(घ) यदि प्रतिभू द्वारा अपेक्षा की जाए जो अपने को देय बकाया की पूरी वसूली बैंक द्वारा कर लिए जाने के पश्चात् सब ऐसे वचन-पत्रों या प्रतिभूतियों को प्रतिभू तथा/या उसके नाम-निर्देशिती को अन्तरित करना किन्तु यह तब जब कि प्रतिभू को उसके द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति न की गई हो ; और

(ङ) इसके उपाबद्ध प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक करार सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना, जैसा कि उसके खण्ड 5 में उपबन्ध किया गया है ।

7. प्रतिभू की प्रत्याभूति सोसाइटी को मंजूर किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों पर ब्याज के बारे में लागू नहीं होगी ।

8. खण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में बैंक की बाध्यताएं उस समय तक जारी रहेंगी जब तक वह रकम जिसकी प्रतिभू द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है प्रतिभू को चुका नहीं दी जाती या उसके नाम जमा नहीं कर दी जाती या जब तक प्रतिभू अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदत्त की जाने वाली अन्य शोध्य रकम के साथ उक्त रकम का समायोजन करने या उस की वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाता ।

9. इस सोसाइटी की बाबत प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा बैंक द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा और यदि प्रतिभू प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है या उसका आसरा लेने के पश्चात् कोई उधार या अग्रिम-धन उस सोसाइटी को दिया जाता है जिसकी ओर से कोई रकम बैंक को प्रतिभू द्वारा दी गई है, तो कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम-धन बैंक की अपनी जोखिम पर होगा और ऐसे अतिरिक्त उधार या अग्रिम-धन के लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं होगा ।

10. 1 अप्रैल, 1985 को या उसके पश्चात् प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम-धन और 31 मार्च, 1985 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत नहीं की जाएगी । प्रतिभू के दायित्व 31 मार्च, 1985 को कारबार बन्द होने के समय समाप्त हो जाएगा ।

11. प्रतिभू, ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत, जिनके सम्बन्ध में यह प्रत्याभूति बैंक को उपलब्ध है, ऐसी जानकारी और विवरणियां बैंक से अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा और बैंक ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति में देगा जैसी प्रतिभू द्वारा विनिर्दिष्ट या अपेक्षित की जाएं ।

12. यदि इस करार से उद्भूत या उसके सम्बन्ध में या इसके अर्थ या निर्वचन के बारे में अथवा इस करार की बाबत अन्यथा किसी का कोई मतभेद या विवाद इसके पक्षकारों के बीच हो तो वह तत्समय भारत सरकार के अपर विधि सलाहकार (माध्यस्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा और उक्त अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों में जिनसे यह प्रत्याभूति सम्बन्धित है, कार्रवाई करनी पड़ी थी या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में वह उन सब बातों पर या उनमें से किसी पर, जिनके बारे में विवाद या मतभेद है, अपने विचार प्रकट कर चुका है । माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबन्ध या उसके कोई कानूनी उपान्तरण या पुनः अधिनियमिति ऐसे माध्यस्थम को लागू होंगे । माध्यस्थम कार्यवाहियां उस स्थान पर की जाएंगी जिसे माध्य माध्यस्थ विनिश्चित करे । मध्यस्थ को यह हक होगा कि वह पंचाट करने का समय पक्षकारों की सम्मति से समय-समय पर बढ़ा सके ।

13. इस प्रत्याभूति-विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा ।

14. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रतिभू और बैंक ने यह विलेख ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को सम्यक् रूप से निष्पादित कराया है ।

निदेशक (प्रत्याभूति तथा प्रचालन) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से दरिसर में कार्यकारी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में जो उपभोक्ता सहकारी समितियों से संव्यवहार करता है ।

निम्नलिखित की उपस्थिति में साक्षी

(1)

(2)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1984

No. O-17011|5|82-GOP.—The Government of India notified in their notification No. O-17011|3|78-GOP dated 26th March, 1979, the

continuance of the scheme of Central Government Guarantee as the fourth phase for a period from 1-4-1979 to 31-3-1984, to enable the Consumer Cooperatives and other cooperative institutions specified therein, to secure working capital loans from banking agencies on reduced margins. It has now been decided by the Government of India to continue the operation of the scheme for a further period of one year from 1-4-1984 to 31-3-1985 to be co-terminus with Sixth Plan period on the same terms and conditions.

II. In the case of guarantee during the extended period i.e. from 1-4-1984 to 31-3-1985 a fresh deed of guarantee has to be entered into in the form given in the Annexure.

All the eligible banks may avail themselves of the facility provided by the Central Government.

S. V. M. TRIPATHI, Jt Secy.

ANNEXURE

DEED OF GUARANTEE

This deed of Guarantee entered into on the——————————day of——————... between the President of India (hereinafter called "the Surety") of the one part and the——————————————a bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970|State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955————————————... (Name of the Bank), a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959|a Cooperative Society registered under——————————————and having its ——————————————Office at——....... ——————————————........ (hereinafter called "the Bank") of the other part witnesseth as follows :—

In consideration of the Bank, making loans and advances to—————————————————— (hereinafter called the Society) at the latter's request, after relaxing margins which the Bank but for this guarantee might have normally kept, the Surety hereby guarantees to the Bank to the extent hereinafter provided the repayment of loans and advances by the society to the Bank subject to their terms and conditions hereinafter mentioned :—

1. The Surety's guarantee will be available only in respect of any secured loan or advance granted for specific periods to the society with the prior approval in writing of the Surety by the Bank before the 1st April, 1985 against the pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and other movable property. The Bank agrees to keep a margin of only 10 per cent against such loans and advances.

2. The Surety's liability in respect of any loan or advance granted as above to the said society shall not at any time exceed :—

(i) twenty-five per cent of the amount of the guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the society on the date on which the notice of demand on the Surety is issued by the Bank in accordance with the provisions of the clause (3) hereof :—

OR

(ii) Rs.——————lakhs only whichever amount is less.

3. The Bank may invoke the Surety's guarantee at any time before the 1st of April, 1985 in the manner hereinafter specified, namely :—

(i) The Bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the Bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously.

(ii) if on the expiry of the period of 30 days, as aforesaid, the society does not make payment of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, the Bank shall issue a notice of demand on the Surety.

(iii) The Bank shall while invoking Surety's guarantee, furnish to the Surety :—

(i) details of the goods, against which loan or advance in respect of which the guarantee is invoked has been granted.

(ii) the market value of the said goods, and

(iii) the amounts outstanding against the society as at :—

(a) the date on which the notice asking for repayment was issued to the Society by the Bank; and

(b) the expiry of thirty days of the date of notice asking for repayment; and

(iv) The Surety shall reimburse to the bank the amount due to it to the extent provided in this guarantee within a period of 90 days from the date of receipt by the Surety of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

4. The guarantee herein contained shall be enforceable against the Surety notwithstanding that any securities that the Bank may obtain from the Society shall be outstanding or unrealised.

5. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form annexed in the First Schedule to the deed of Guarantee, undertaking :—

(a) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;

(b) to carry on the business of the society deligently with a view to making profit;

(c) guaranteeing to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the Bank, on demand without demur;

(d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;

(e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery ;

(f) to ensure preparation of quarterly trading and profit & loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the Society's working and submit a copy of it to the Surety every quarter;

(g) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Governments; and

(h) to provide all facilities to the Surety on any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working;

The Bank shall not make any payment to the Society unless the agreement in the proforma in the First Schedule and the later of Consent as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished to it duly executed by the parties.

6. The bank shall agree, in consideration of the guarantee which is available to it from the Surety:—

(a) to pay or credit to the account of the Surety any amount which will be realised from the society after the date on which the Surety has reimbursed the amount guaranteed, after it has realised in full the loans and advances guaranteed by the Surety;

(b) to retain all the promissory notes or unrealised securities which may be available to the Bank in respect of the loan granted by it to the Society even after realisation by it in full of the outstandings due to it, till the amount reimbursed by the Surety is realised ;

(c) to obtain from the Society and to furnish to the Surety, a letter of consent in the from provided in the Second Schedule hereto;

(d) if so required by the Surety, to transfer all such promissory notes or securities to the Surety, and/or his nominee, after the Bank has realised in full the outstanding due to it, but if the Surety has not been reimbursed the amount paid by it; and

(e) to obtain from the Society and furnish to the Surety an agreement in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee annexed hereto, as provided in the Clause 5 hereto.

7. The Surety's guarantee will not extend to the interest on the loans and advances sanctioned to the society.

8. The obligations of the Bank in pursuance of the provisions of clause (6) shall continue until such time as the amount reimbursed by the Surety has been paid or credited to the Surety, or until the Surety has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the Bank or to the Society or to waive the recovery of the amount.

9. The Surety's guarantee shall not be invoke on more than one occasion by the Bank in respect of the society and if or after the Surety's guarantee has been invoked, any loan or advance is granted to the society on whose behalf any amount has been paid to the Bank by the Surety, any such loan or advance shall be at the Bank's own risk and the Surety will have no liability on account of such further loan or advance.

10. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1985, and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1985 will be guaranteed by the Surety. The Surety's

liability shall become determined at the close of business on the 31st March, 1985.

11. The Surety shall be entitled to obain from the Bank such information and returns relating to the loans and advances, in respect of which this guarantee is available to the Bank and the Bank shall furnish such information or return at such intervals and in such manner as may be specified or required by the Surety.

12. If there is any difference or dispute between the parties hereto, arising out of or in connection with this agreement or concerning the meaning or interpretation thereof or otherwise howsoever in relation to this agreement, the same shall be referred to the sole arbitration of the person holding for the time being the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) to the Government of India and decision of the said officer shall be final and binding on both the parties. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant, that he had to deal with the matters to which this guarantee relates or that, in course of his duties as a Government servant, he has expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The provisions of the Arbitration Act, 1940 or any statutory modification or re-enactment thereof shall apply to such arbitration. The arbitration proceedings shall be held at such place as the Arbitrator may decide. The Arbitrator shall be entitled with the consent of the parties, to extend from time to time, the time for making the award.

13. The Stamp duty, if any, payable on this Deed of Guarantee shall be borne by the President of India.

14. In witness whereof the Surety and the Bank have caused these presents to be duly executed the day and year above mentioned.

Signature of the Officer Incharge
(Guarantee and Operations)
In the Government of India, in the Ministry dealing in Consumer Coop. acting in the premises for and on behalf of the President of India.

In the presence of :—

Witness

(1)———————

(2)———————

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984